सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–232/2020

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जरनैलसिंह 2. करनैलसिंह पुत्रगण गिटनसिंह उर्फ छोटासिंह पुत्र अमरीकसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मुख्तयारसिंह पुत्र नथनसिंह 2. गुजरसिंह पुत्र दुलासिंह जाति जटसिख निवासी पदमपुरा (लीलावाली) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामनिवास बेदी एड. – वादीगण

दिनांक– 10-10-2022

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 66/55 खाता मुख्तयारसिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि वादीगण के ब.ही.ब.दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड संलग्न वादपत्र है। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि को लेकर वादी का सहखातेदारो/ प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ रास्ता खाला काश्त की सुविधानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विरचित प्रावधानो के अर्न्तगत काश्त की सुविधानुसार अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है घरू बंटवारा में वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–चक 3 एम.एम. के. जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता सं. 66/55 प.नं. 155/197 मु.नं. 1 किला नं. 11/.253, 20/.253, 21/.253 प.नं. 155/198 मु.नं. 20 किला नं. 1/. 253, 10/.253, 11/.253 कि वादभूमि वादीगण के नाम ब्राहमी घरू बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सांझा खाता में दर्ज होने के कारण आये दिन बिना वजह सिंव बट रकम राजआबयाना व पानी की बारी इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। जबकि सहखातेदार प्रतिवादीण्गा सं. 1 व 2 ने अपना खाता पूर्व में यानि अर्सा दराज पूर्व सहखातेदारो से अलग करवा लिया था। इसलिए आज प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की उक्त खाता में कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। उक्त खाता में प्रतिवादीगण का नाम व हिस्सा बोलने से वादीगण खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादीगण आज कब्जा काश्त अनुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एंव दावेदार है। कि गत माह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो घरू बंटवारा अनुसार उक्त खाता से अपना नाम व हिस्सा कलमजन करवा कब्जा काश्त मुताबिक वादीगण का खाता अलग कायम करवा देवे तो वो पहले तो आजकल आजकल करते रहे परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार हो गये बस यही वादकारण है। कि चक 3 एम.एम.के. के खाता सं. 66/55 में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का नाम व हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाकर कलमजन किया जाना है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 6.8.2022 को प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के बावजूद रजिस्टर्ड तामील व दैनिक सामाचार पत्र छाया तामील के बावजूद

10/10

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी । और पत्रावली वास्ते जबाव स्टेट नियत की गयी। दिनांक 26.8.2022 को जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादीगण करवाये गये। साक्ष्य वादीगण में वादी करनैलसिंह ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज प्रमाणित जमाबन्दी व बैयनामा को प्रदर्शित करवाया गया । जमाबन्दी प्रदर्श 1 व बैयनामा की असल प्रति प्रर्दश 2 व उसकी फोटो प्रति प्रर्दश 2 ए है जो वादपत्र में पेश है। ओर साक्ष्य वादीगण पेश नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस एक पक्षीय सुनी गई वादीगण के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादीगण का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जावे। तथा जबाव स्टेट में भी वादीगण के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नही है।

हमारे द्वारा वादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रर्दश 1 व बैयनामा की फोटो प्रति प्रर्दश 2 ए तथा ब्यान गवाहान करनैलसिंह की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादीगण को वादपत्र में वर्णित आराजी प्राप्त होना साबित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने तथा बैयनामा मुताबिक घरू बंटवारा में आराजी वादीगण को मिलना साबित होने से वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 3 एम.एम.के. जं स. 2072 से 2075 खाता सं. 66/55 से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 नाम व हिस्सा कलमजन किया जाकर वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णिता अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज आबियाना अलग कायम किया जाता है। यदि प्रश्नगत आराजी पर ऋण है तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास – रमेश देव (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

---

1. जरनैलसिंह 2. करनैलसिंह पुत्रगण गिटनसिंह उर्फ छोटासिंह पुत्र अमरीकसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

–वादीगण

बनाम

1. मुख्तयारसिंह पुत्र नथनसिंह 2. गुजरसिंह पुत्र दुलासिंह जाति जटसिख निवासी पदमपुरा (लीलावाली) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

वाद खाता तकसीम बाबत **मुकदमा संख्या 232/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एड़ मिन जामिन मुद्दई जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एक पक्षीय डिग्री दी जाती है कि :– अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है कि चक 3 एम.एम.के. जं स. 2072 से 2075 खाता सं. 66/55 से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 नाम व हिस्सा कलमजन किया जाकर वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णिता अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज आबियाना अलग कायम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। वादीगण का खाता राजस्व अभिलेख निचे वर्णितानुसार अलग कायम किया जावे।

वादीगण जरनैलसिंह व करनैलसिंह के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की भूमिः–

चक 3 एम.एम. के. जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता सं. 66/55

प.नं. 155/197 मु.नं. 1 किला नं. 11/.253, 20/.253, 21/.253 प.नं. 155/198 मु.नं. 20 किला नं. 1/. 253, 10/.253, 11/.253

यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X...मुब्लिक ..X.... बाबत (00 खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक .....X... को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10-10-2022 को जारी किया गया।

10/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया